न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्या:–34 / 2020
जी.सी.एम.एस .संख्या:–2020 / 00087 (225 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. नगर विकास न्यास सवाई माधोपुर जरिये सचिव नगर विकास न्यास, सवाई माधोपुर राजस्थान।

.... अपीलांट।

बनाम

1. पुष्करसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपूत
2. छेलकंवर पत्नि पुष्कर सिंह जाति राजपूत निवासीयान बी–16 ब्लॉक वैशाली नगर, जयपुर राजस्थान।

....रेस्पोडेन्टस्।

उपस्थित:–

1. श्री चिरंजी लाल बैरवा अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री राधेश्याम वैष्णव अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट।

अपील संख्या:–39 / 2020
जी.सी.एम.एस.–2020 / 00084 (225 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. हंसराज पुत्र श्री लक्ष्मण जाति बैरवा निवासी आर0के0पुरम् बी–कोटा राज0 मकान नम्बर 566 (मृतक) (हजफ)।
2. मुकेश कुमार पुत्र रामनिवास ग्राम छापोल जिला कोटा जाति बैरवा।

....अपीलांट्स्।

बनाम

1. पुष्करसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपूत
2. छेलकंवर पत्नि पुष्कर सिंह जाति राजपूत निवासीयान बी–16 ब्लॉक वैशाली नगर, जयपुर राजस्थान।
3. नगर विकास न्यास जरिये सचिव नगर विकास न्यास, सवाई माधोपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 10:37:33 IST
Reason: SelfAttested

व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार सवाई माधोपुर।

....रेस्पोडेन्टस्।

उपस्थितः–

1. श्री उमाशंकर शर्मा अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री राधेश्याम वैष्णव अधिवक्ता रेसपोडेन्ट।
3. श्री पैरोकार सरकार रेस्पो0 04।

–::निर्णय::–

दिनांकः 09.01.2023

1. उक्त दोनों अपील अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 28.07.20 बउनवान पुष्कर सिंह वगैरह बनाम नगर विकास न्यास वगैरह मुकदमा नम्बर 07/2019 में पारित निर्णय के विरूद्व पेश की गई है। उक्त दोनों अपीलों में पक्षकार, वाद विषयवस्तु व निर्णय व डिक्री एक ही होने से दोनों अपीलों को एक साथ संलग्न कर निर्णय भी एक साथ ही किया जा रहा है।
2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि राजस्व ग्राम खिलचीपुर में वादी की खातेदारी की कब्जेकाश्त भूमि स्थित है, कृषि कार्य हेतु कृषि यन्त्र आने जाने हेतु खसरा नम्बर 4131, 4132, 4133 में स्थित चालू रास्ते को में आ रही भूमि की तरमीम करवाना आवश्यक है। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 28.07.20 को निर्णय पारित करते हुए वादीगणों द्वारा रास्ते के उपयोग में आनेवाली भूमि 701.48 वर्गमीटर की भूमि का मूल्य वर्तमान डी0एल0सी0 दर के अनुसार तय राशि से दुगुनी राशि नियमानुसार उचित मद में जमा करवाने के पश्चात ही उक्त खसरा नम्बरों में से होकर जा रहे निकटतम रास्ते की तरमीम ट्रेसशीट में जमाबंदी में गैरमुमकिन दर्ज करने के आदेश तहसीलदार सवाई माधोपुर को दिये। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।
3. अपील सं0 34/2020 की अपील मीमों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्टस् के खसरा नम्बर 4144 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 4145 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 4146 रकबा 0.73 है0, कुल किता 3 रकबा 0.75 है0 वाके ग्राम खिलचीपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर की राजस्व सीमा में स्थित पर आने जाने हेतु खसरा नम्बर 4131, 4132, व 4133 में होकर आने जाने का [illegible] रहने बाबत पेश किया था अपीलांट के खसरा नम्बर 4132, 4133 [illegible] खातेदारी दर्ज है जो मुझ अपीलांट नगर विकास न्यास की खातेदारी [illegible] है। अपीलांट द्वारा मातहत

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 10:37:33 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

[illegible]
[illegible]
[illegible]/20 एवं [illegible]/20

अदालत के समक्ष जवाब आपत्ति पत्र में दर्ज करने के बावजूद विधि के विपरीत जाकर यह निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 28.07.20 अपास्त फरमाया जावे।

4. अपील सं0 39/2020 की अपील मेमो के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय अप्रार्थीगणों की सुनवाई का बिना उचित अवसर दिये हुए किया गया है। अदालत मातहत ने अपीलांट की भूमि में 10 फीट का रास्ता होते हुये भी 30 फिट का रास्ता देने का कोई कारण निर्णय में प्रकट नहीं किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

5. उक्त दोनों अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोण्डेन्टस् को जरिये समन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

6. मुख्य बहस में अपील सं0 34/20 में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अदालत मातहत ने रहमान बनाम राजस्थान राज्य के निर्णय के विरुद्ध जाकर नाले की भूमि को रास्ते की भूमि में परिवर्तन करके अहम भूल की है। आगे कथन किया कि अप्रार्थीगणों द्वारा मातहत अदालत के समक्ष जवाब पेश कर ऐतराज करने के बावजूद निर्णय में अप्रार्थीगणों द्वारा ऐतराज दर्ज नहीं करना अंकित किया है। आगे कथन किया कि अपीलांट की सहमति नहीं होने के बावजूद सहमति के आधार पर निर्णय पारित किया है। ऐसा किया जाना विधि विरुद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 28.07.20 को निरस्त फरमाया जावे।

7. अपील संख्या 39/20 में बहस में अपीलांट अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि भूमि के बदले क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जावे।

8. जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोण्डेन्ट ने कथन किया कि कृषि भूमि पर नियमानुसार कृषि यंत्र लाने-ले जाने बाबत् रास्ते की मांग करना रेस्पोण्डेन्टस् का अधिकार है। मौके पर गैर मुमकिन नाली अस्तित्व में नहीं है। मौके पर सीमेन्ट् सड़क से आमद-रफ्त है। यह प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि नहीं है क्योंकि आगे जाकर खातेदारी भूमि से समाप्त हो गई है। अदालत मातहत ने मौका रिकार्ड पर सहमति से आदेश जारी किया है अपील [illegible] खातेदार को चलने योग्य नहीं हैं। आगे कथन [illegible] मातहत अदालत नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि देने को तैयार है। आदेश [illegible] उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा पारित [illegible] अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 10:37:33 IST
Reason: SelfAttested

(ह0)
[illegible] अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

9. उभयपक्षो की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

10. रिकार्ड का ससम्मान अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि अदालत मातहत की आदेशिका दिनांक 28.07.2020 में अंकन है कि "वकील अप्रार्थीगण नम्बर 01 व 02 द्वारा उपस्थित होकर सहमति स्वरूप आदेशिका पर हस्ताक्षर किया। प्रार्थना पर स्वीकार किया जाता है।" यही तथ्य निर्णय में अंकन किया गया है। " तत्पश्चात् वकुलाय उभयपक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस उभय पक्ष के वकुलाय की ओर से प्रार्थीगणो द्वारा चाहे गये रास्ते के बाबत् सहमति प्रदान की गई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन एवं मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने में किसी भी पक्ष द्वारा आपत्ति नही किये जाने पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जोन योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।"

भाग–7 सिविल प्रकिया संहिता 1908 में मूल डिक्री की अपीलों का प्रावधान धारा 96 में वर्णित है। धारा 96 मूल डिक्री की अपील:–

(1) .....

(2) .....

(3) पक्षकारों की सहमति से जो डिक्री न्यायालय ने पारित की है उसकी कोई अपील नहीं होगी।

(4) .....

रिकार्ड के अवलोकन से बखुबी स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा उक्त वाद सहमति से निर्णित किया गया है। पक्षकारों की सहमति से जो डिक्री न्यायालय ने पारित की है। सिविल प्रकिया संहिता में अपील के कोई प्रावधान नही है।

11. अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट अपील का श्रवणाधिकार नही होने से बिना गुणावगुण के श्रवणाधिकार के बिंदु पर खारिज की जाती है। मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी सवाई माधोपुर का निर्णय दिनांक 28.07.20 मुकदमा नम्बर 07/2019 बउनवान पुष्कर सिंह बनाम नगर विकास न्यास वगैरह का यथावत रखा जाता है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

12. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 09.01.2023 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 10:37:33 IST
Reason: SelfAttested

09.01.2023

(हरि राम मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner